न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस

नामा.अपील सं. 2/2016

अपीलाण्ट
दौलतदान पुत्र थानदारजी जाति चारण
आयु 50 वर्ष निवासी वलदरा तहसील व जिला
सिरोही राज.

बनाम

रेस्पोडेण्टस
1– अभयदान गोदी पुत्र शिवदानजी जाति चारण
2– हमीरदान पुत्र थानदानजी जाति चारण
आयु व्यस्क निवासी वलदरा तहसील व जिला
सिरोही के कायम मुकाम
2/1– श्रीमती लीला कुंवर पत्नि स्व.हमीरदानजी
2/2– हिंगलालदान पुत्र स्व.हमीरदानजी
आयु व्यस्क जाति चारण नि.वलदरा
तहसील व जिला सिरोही
2/3– श्रीमती जनक देवी पत्नि लक्ष्मणदानजी पुत्री
स्व.हमीरदानजी जाति चारण नि.आलासर
त्हसील व जिला जालोर
2/4– श्री प्रमिला पुत्री स्व.हमीरदानजी जाति चारण
निवासी वलदरा तहसील सिरोही जि.सिरोही
3– हंसकुंवर पुत्री थानदानजी आयु व्यस्क जाति
4– अणदु कुंवर पत्नी थानदानजी आयु व्यस्क
जाति चारण निवासी वलदरा तहसील व
सिरोही जिला सिरोही
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही
6– ग्राम पंचायत सरतरा जरिये सरपंच

उपस्थित :–
1– श्री राजेन्द्र पुरी अधिवक्ता अपीलाण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम बविरूद्व स्वीकृत करने नामान्तकरण
संख्य 711, 712 दिनांक 20–10–2007 सरपंच ग्राम पंचायत सरतरा

निर्णय — दिनांक 10.1.2020

अपीलाण्ट ने यह नामांतकरण अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजसव अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 तक वास्ते स्वीकृत करने नामान्तरण संख्या 711,712 दिनांक 20–10–2007 सरपंच ग्रा.पं. सरतरा का इस न्यायालय मे दिनांक 4–3–2016 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने उक्त अपील के माध्यम से यह निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता थानदान पुत्र चमनदान जाति चारण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा ग्राम वलदरा पटवार हल्का सरतरा तहसील सिरोही मे आई हुई है जिसकी विगत निम्न प्रकार है :–

(अ) खाता संख्या	कम सं.	पुराने खसरा संख्या	नये खसरा संख्या	रकबा
133	1	531	735	0.6800
	2	533	736	0.9100
	3	596	742	0.1400
	4	597	818	0.0500
	5	598	819	0.4100
	6	604	820	0.8700
	7	605	826	0.7500
	8	643	827	0.0800
	9	644	865	0.4500
	10		866	0.1600
		किता	10	4.50 हैक्टेयर

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

(ब) खाता संख्या	कम सं.	पुराने खसरा संख्या	नये खसरा संख्या	रकबा
134	1	13	40	0.0500
	2	36	42	0.0700
	3	37	43	0.2400
	4	39	44	0.1300
	5	38	45	1.0000
	6	424	244	0.4100
	7	422	245	0.0400
	8	423	246	0.8400
	9	411	255	0.0300
	10	410	256	1.4400
	11	409	257	0.0400
		कुल किता	11	रकबा 6.2900 हैक्टेयर

उपरोक्त कृषि आराजी अपीलाण्ट के पिता के खातेदारी की कृषि आराजी थी एवं अपीलाण्ट के पिता थानदान जी के 4 पुत्रगण व 1 पुत्री थी अपीलाण्ट के पिता थानदानजी के चाचा छोटे भाई शिवदानजी के अपने वैवाहिक जीवन के दौरान कोई सन्तान पैदा नही होने से शिवदानजी व उनकी पत्नी ने अपीलाण्ट के पिता थानदानजी के पुत्र अभयदान रेसपोडेण्ट संख्या 1 को गोद लेने की ईच्छा जाहिर की उस समय शिवदानजी व उनकी पत्नी जोर कुंवर को अपनी सहमति देते हुये आज से 44 वर्ष पूर्व नाबालिंग अवस्था मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अभयदान को उसके माता पिता ने शिवदान व उनकी पत्नि को जाति समाज रिति रिवाज अनुसार गोद की रश्म अपना कर गोद दे दिया था तब से अभयदान शिवदान का गोदी पुत्र है उक्त गोदनामे का लिखत उस वक्त नही करवाया गया था लेकिन गोद आज से 44 वर्ष पूर्व शिवदानजी एवं उनकी पत्नी ने रेसपोडेण्ट संख्या 1 को गोद ले लिया था तब से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 शिवदानजी का गोदी पुत्र है। तत्पश्चात शिवदानजी की मृत्यु हो गई एवं उनकी पत्नी जोर कुंवर ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को लिये गये अपने गोदी पुत्र बाबत दिनांक 10–11–2008 को पूर्व मे गये गोदनामे का उल्लेख करते हुये गोदनामा उपपंजीयन कार्यालय सिरोही से पंजीयन करवाया गया जो एक पंजीकृत दस्तावेज है। उपरोक्त कारण से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का शिवदानजी द्वारा गोद लेने के बाद अपने पेतृक पिता थानदानजी की संपति मे जो भी हक हिस्सा था वह स्वतः ही समाप्त हो चुका है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 शिवदानजी का गोदी पुत्र है एवं उसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। अपीलाण्ट के पिता थानदानजी की मृत्यु दिनांक 25–5–2007 पश्चात उनके नाम दर्ज कृषि आराजी मे उनके वारिसदारों के नाम नामान्तकरण राजस्व रेकर्ड मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मेल मिलावट करके थानदानजी की कृषि भूमि मे अपने नाम से भी नामान्तकरण दर्ज करवा दिया जिससे नामान्तकरण संख्या 711 व 712 दिनांक 20–10–2007 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम भरा गया नामान्तकरण शुरू से ही अवैध व शुन्य है ऐसे नामान्तकरण के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि मे कोई अधिकार पैदा नही होता है इस कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के हक तक उक्त नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 711 व 712 दिनांक 20–10–2007 मे दर्ज रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम को निरस्त करते हुये पुनः नये सर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 के हक मे तहसीलदार सिरोही को नामांतकरण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का आदेश पारित करना फरमावें ।

अपीलाण्ट द्वारा अपील के संलग्न नामान्तकरण संख्या 711,712,251 जमाबंदी संवत 2047–50 मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 9–6–2007,गोदनामा दिनांक 10–11–2008 गोद जाने का प्रमाण पत्र दिनांक 2008 ग्राम पंचायत सरतरा जोरबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र 29–5–13 ग्राम पंचायत सरतरा का अवलोकन कर उस पर मनन किया तो अपील मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 4–3–2016 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को जवाब पेश करने हेतु सम्मन जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेण्टगण संख्या 1, 2/1, 2/2, 2/4, 4, 6 के सम्मनस तामिल शुदा तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 का सम्मन अदम तामिल इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 18–6–2016 को प्राप्त होने से शा.मि. किये गये । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 23–9–2016 को रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 लीलाकुंवर 3–हंसकुंवर 4–अणदुकुंवर की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह राव ने वकालतनामा पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2/3 जनककुंवर का सम्मन आबाद मकान पर चस्पा होकर प्राप्त होने से शा.मि. किया गया । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 19–12–2017 को दोराने सुनवाई पत्रावली देखने पर पाया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 5 को सम्मन तामिली होने के बावजूद भी आज दिन तक न्यायालय मे तारीख पेशी पर सुनवाई के दौराने हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा दौराने सुनवाई रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 5 को हाजिर होने हेतु न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वंय या इनके वकील प्रतिनिधि कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के आदेश दिये गये तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 23–9–2016 से निरन्तर वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1, 3, 4 को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे पर्याप्त अवसर

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

देने के बावजूद आज दिन तक जवाब पेश नही किया। तथापि राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट में सभी पक्षकारान को नोटिस जारी होने पर नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुये। एवं रेस्पोण्डेंट संख्या 5 सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे यह कथन किया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2070–2073 ग्राम वलदरा के खाता संख्या 133 व 134 अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की संयुक्त रूप से खातेदारी भूमि दर्ज है। अपील के पद संख्या 2 व 3 का कथन सही होने से स्वीकार किया है तथा अपील के पद संख्या 4 के सम्बन्ध मे कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता थानदानजी की मृत्यु दिनांक 25–5–2007 को होने से जरिये नामान्तकरण संख्या 711 व 712 दिनांक 20–5–2007 द्वारा थानदानजी के वारिसदारो क्रमशः दौलतदान, हमीरदान, अभयदान, डुंगरदान पि. थानदान हंसकुंवर पुत्री थानदान अणदुकुंवर पत्नि थानदानजी चारण के नाम दर्ज हुये । चूंकि अपीलाण्ट का भाई अभयदान को शिवदानजी के गोद लेने से जोरबाई पत्नि शिवदान की मृत्यु दिनांक 10–5–13 के पश्चात जरिये नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 22–8–13 द्वारा रेसपोडेण्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड मे अभयदान गोदी पुत्र शिवदान चारण के नाम दर्ज किया गया है। अपील पद संख्या 5 व 6 का कथन स्वीकार कर कथन किया कि कानूनन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को पैतृक संपति व गोद मे प्राप्त संपति मेसे किसी एक मे संपति प्राप्त करने का अधिकार है दोनो जगह संपति मे हिस्सा कानूनन जायज नही ठहराया जा सकता है।

इस न्यायालय मे तारीख पेशी दिनांक 24–12–2019 को वकील रेस्पोण्डेंट 2/1, 3, 4 द्वारा हाजिर होकर नो–इन्सट्रक्शन करने से न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1, 3, 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के आदेश दिये गये। विचारण प्रकरण मे वकील अपीलाण्ट की पूर्व मे सुनवाई पेशी दिनांक 20–9–2019 को दौराने सुनवाई हाजिर होने वकील अपीलाण्ट की एक तरफा अंतिम बहस सुनी गई तथा आज दिनांक 24–12–19 को पुनः वकील अपीलाण्ट की मजीद बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन व मनन किया जिससे यह स्पष्ट है कि श्री थानदान पुत्र चमनदान के चार जायंदा पुत्रों में से अभय दान पुत्र थानदान उपपंजीयक कार्यालय सिरोही में पंजीकृत गोदनामा विलेख दिनांक 11.11.2008 के अनुसार शिवदान पुत्र भारतदान व जोरकुंवर पत्नि शिवदान जाति चारण निवासी वलदरा तहसील सिरोही के गोद जाना स्पष्ट है। गोदनामे अनुसार 38 वर्ष पूर्व समाज के रीति रिवाज अनुसार गोद लेने की रस्म की गई थी जिसका पंजीयन दिनांक 11.11.2008 को जोरकुंवर पत्नि स्व. शिवदान जी व अभयदान पुत्र थानदानजी द्वारा निष्पादित करवाया गया। प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम वलदरा के नामान्तकरण संख्या 711 व 712 जिनकी प्रति रिकार्ड पर उपलब्ध है के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण जो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.10.2007 को स्वीकृत किया गया है, के द्वारा थानदान के फौत होने पर सभी वारिसानों के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसमें अन्य वारिसानों के साथ अभयदान पुत्र थानदान का भी नाम दर्ज है। तत्पश्चात ग्राम वलदरा के नामान्तकरण संख्या 251 के द्वारा जोरबाई पत्नि शिवदान जी की मृत्यु दिनांक 10.5.2013 को होने पर वारिसान के रूप में अभयदान गोदी पुत्र शिवदान के नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया गया। यद्यपि गोदनामें का पंजीयन उक्त नामान्तकरण संख्या 711, 712 के निर्णय के पश्चात करवाया गया है। तथापि वर्तमान में रेस्पोण्डेंट संख्या 1 का गोद जाना निर्विवाद बिन्दु है जो दोनो पक्षों के मध्य निष्पादित गोदनामें में अंकित अनुसार लगभग 38 वर्ष पूर्व संपन्न गोद लिया जाना जाहिर है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू एडोप्शन एण्ड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुसार एक ही व्यक्ति दोनों पिता (नैसर्गिक पिता व गोदी पिता) की संपत्ति में अधिकार नहीं रख सकता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 711, 712 ग्राम वलदरा तहसील सिरोही को अपास्त किया जाकर तहसीलदार सिरोही को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की सुनवाई कर नियमानुसार वारिसानों व गोदनामें को ध्यान में रखते हुये नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना 45 दिवस में प्रेषित करे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(एसडीओ) सिरोही

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.01.13 19:46:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: